बिहार सरकार

अवर निबंधन कार्यालय **महुआ**

पृष्ठांकन का सारांश

दिनांक **06/02/2024** को **Ganesh Kumar Ram** द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रू0 **5000** मुद्रांक शुल्क एवं रू0 **5000** निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेख्यकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निशान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 **2** के रूप में पुस्तक सं0 **4** की जिल्द सं0 **1** के पृष्ठ सं0 **10** से **36** तक **CD 1** में आज निबंधित एवं कुल **27** पृष्ठों में संधारित किया गया।

06/02/2024

प्रियदर्शन
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक- **06/02/2024** टोकन नं॰ 1616 / 2024

SCANNED BY

न्यास-पत्र

प्रेषित किया जाता है कि यह न्यास-पत्र (ट्रस्ट डीड) दस्तावेज आज दिनांक- 06/02/2024 ई0 को

(1) श्री गणेश कुमार राम, पिता- स्व0 शंकर राम, उम्र- 34 वर्ष, आधार नम्बर- 6951 4223 4786, पैन नम्बर- BJSPR0104C, ग्राम+पोस्ट- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय, मो0 नं0- 9905656071 के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो इस न्यास के अध्यक्ष है।

Sub District Registry Office,Mahua

Token Number 1616 | Reg. Year 2024 | Serial Number 1607 | Deed Number 2

PresType	Name	Photo	Thumb Index Middle Ring Little
Presented By	Ganesh Kumar Ram Sig. गणेश कुमार राम 06/02/24		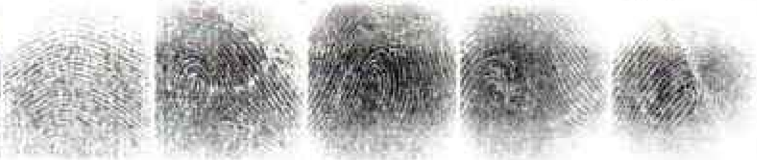
	Ganesh Kumar Ram Sig. गणेश कु० राम 06/02/24		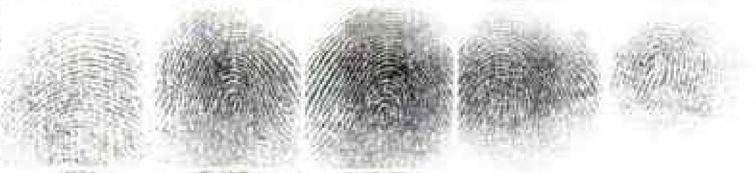
Trustee	Arvind Ram Sig. अरविन्द राम 06/2/24		
Trustee	Lakshmi Kumari Sig. लक्ष्मी कुमारी 06/2/24		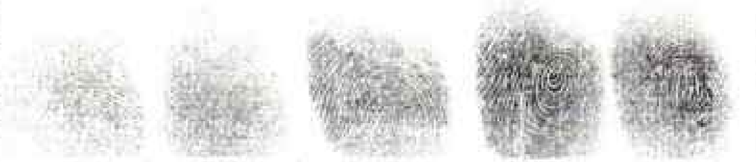
Trustee	Manish Kumar Sig. मनीष कुमार 06/02/24		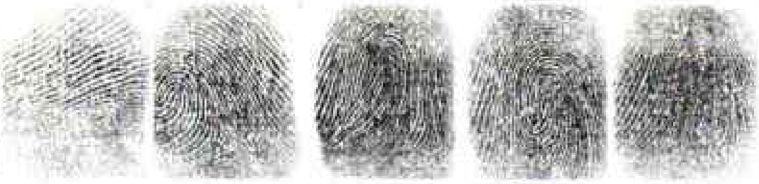
Trustee	[illegible]esh Kumar Ram Sig. मुकेश कुमार राम 6-2-24		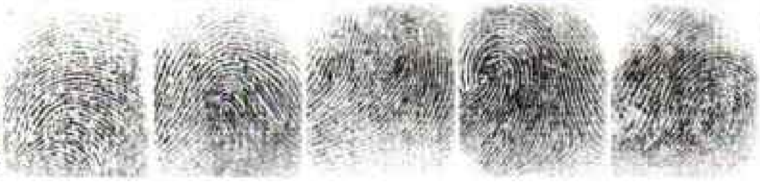
Identified By	Vikash Kumar Sig. विकास कुमार 06/02/24		

(Stamp: अवर निबंधन कार्यालय महुआ (वैशाली))

गणेश कु० राम 06/02/24

(2) श्री मुकेश कुमार राम, पिता- स्व0 शंकर राम, उम्र- 28 वर्ष, आधार नम्बर- 9327 0635 2902, पैन नम्बर- BYWPR8400A, ग्राम+पोस्ट- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय, मो0 नं0- 9431641430 के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो इस न्यास के सचिव है।

(3) श्री मनीष कुमार, पिता- स्व0 शंकर राम, उम्र-24 वर्ष, आधार नम्बर- 6074 3415 6332, पैन नम्बर- GYJPK4553F, ग्राम+पो0- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता- भारतीय, मो0 नं0-9431607524 के द्वारा निष्पादित

किया जा रहा है जो इस न्यास के कोषाध्यक्ष है।

(4) श्रीमती लक्ष्मी कुमारी, पति-श्री गणेश कुमार राम, उम्र- 30, आधार नम्बर- 7325 4621 9947, पैन नम्बर- ECZPK4097L, वर्ष, ग्राम+पोस्ट- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता-भारतीय, मो0 नं0- 9523405634 के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो इस न्यास के न्यासी है।

(5) श्री अरविन्द राम, पिता- स्व0 गेना राम, उम्र- 40 वर्ष, आधार नम्बर- 3174 7950 8102, पैन नम्बर- CBQPR1370D, ग्राम+पोस्ट- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार, राष्ट्रीयता-

भारतीय, मो0 नं0-9931749971 के द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो इस न्यास के न्यासी है।

न्यास (ट्रस्ट) की प्रमुख शर्त्ते निम्न प्रकार है :-

1. न्यास का नाम :- जी.एम.एम. एजुकेशनल ट्रस्ट एण्ड वेलफेयर एशोसियशन
2. ट्रस्ट का प्रधान कार्यालय- ग्राम+पोस्ट- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार।
3. बिस्तार-इस न्यास के कार्यक्षेत्र का बिस्तार भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित, यदि कोई हो, क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा।
4. न्यास की अवधि - प्रस्तुत न्यास अपने अस्तित्व में आने से लेकर तब तक की जब तक विधि

पूर्ण तरीके से न्यास का भंग ना हो जाए कार्य करती रहेगी।

5. यह कि न्यास में अध्यक्ष, सचिव सहित कम से कम पाँच एवं अधिक से अधिक सात न्यासी होगें तथा सभी न्यासित मिलकर एक न्यास सभा का गठन करेंगे और न्यास से संबंध में कोई भी निर्णय न्यास में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। परन्तु यदि न्यास संबंधी किसी निर्णय में समान बहुमत होने पर अध्यक्ष अपने विवेकानुसार निर्णय ले सकेंगे।

6. न्यास के दैनिक कार्यो एवं न्यास प्रशासन को सम्यक रूप से चलाने का दायित्व अध्यक्ष की होगी।

अवर निबंधन कार्यालय
(वैशाली)
दस्तावेज जाँचा

7. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव द्वारा न्यास का संचालन किया जाएगा।

8. यदि न्यास सभा किसी न्यासी की सहायता हेतु किसी कार्यकारी न्यासी की आवश्यकता महसूस करे तो वह बहुमत से ऐसा कर सकेगा।

9. यह कि किसी न्यासी का पद उसके स्वयं के त्याग-पत्र देने एवं न्यास सभा द्वारा उसी स्वीकृति देने से या न्यास सभा द्वारा बहुमत से न्यासी को अयोग्य करार दिये जाने की स्थिति में समाप्त होगा।

<u>प्रस्तुत न्यास के न्यासी निम्नलिखित लोग है :-</u>

(i) श्री गणेश कुमार राम, पिता- स्व0 शंकर राम, ग्राम+पो0- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा

ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार।

(ii) मुकेश कुमार राम, पिता- स्व0 शंकर राम, ग्राम+पोस्ट- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार।

(iii) मनीष कुमार, पिता- स्व0 शंकर राम, ग्राम+पो0- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार।

(iv) लक्ष्मी कुमारी, पति-श्री गणेश कुमार राम, ग्राम+पो0- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल- चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला- वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार।

(v) अरविन्द राम, पिता- स्व0 गेना राम, ग्राम+पो0- खाजे चाँद छपड़ा, थाना- गोरौल (कटहरा ओ0 पी0) अंचल-चेहराकलाँ, अनुमंडल- महुआ, जिला-वैशाली, पिन कोड- 844112, राज्य- बिहार।

निष्पादनकर्त्ता मो0- दो लाख रूपया (2,00,000/-) इक्ट्ठा कर न्यास का निर्माण कर रहे हैं, जो न्यास कोष है, जो न्यास के उद्देश्य, पूर्ति एवं संचालन में खर्चा किया जा सकेगा।

उदेशिका या लेख्य संदर्भ

यह कि सभी न्यासीगण की मंशा है कि अपने जीवन को सार्थक साबित करने हेतु गरीबों, असहाय, लचारो के शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक विकास हेतु कुछ कार्य की जाए जिससे न्यास के साथ-साथ न्यासीगणों के मान-सम्मान में वृद्धि हो।

10. यह कि न्यास के कोष का संचालन एवं समस्त वित्तीय गतिविधियों का संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।

11. यह कि न्यास सभी अपने कुछ कार्यो के संपादन के लिए प्रबंध समिति तथा उप समितियाँ बना सकती हैं और प्रबंध समिति तथा उप समितियाँ अलग-अलग कार्यो का देख-रेख करेगी।

12. यह कि न्यास समिति की आमदनी का श्रोत न्यास संपत्ति से होने वाली आय के अलावे चन्दा एवं दान होगा। कि न्यास समिति किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह संस्थाओं तथा आर्थिक एवं सामाजिक संगठनों राज्य एवं केन्द्र सरकार या राज्य के बाहर के व्यक्ति या संस्था से अनुदान के रूप में आर्थिक मदद ले सकती हैं अथवा लेने का प्रयास कर सकती है।

कि आवश्यकता पड़ने पर न्यास अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं देश के बाहर रहने वाले व्यक्तियों से भी चन्दा या दान के रूप में आर्थिक सहायता लेगें उन्हें आयकर विभाग से छूट मिलनी चाहिए इसके लिए न्यास आयकर विभाग से संपर्क कर उचित कदम उठायेगी।

13. यह कि समिति यदि आम सहमति से यह निर्णय करे कि न्यास के विकास के लिए किसी प्रकार का कोई ऋण लेने की आवश्यकता है तो वैसी हालत में न्यास ऋण ले सकता है और न्यास के अंश सम्पत्ति को भारवद्ध कर सकता है। उपरोक्त कार्य न्यासीगणों की सहमति से अध्यक्ष के द्वारा ही यह प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

14. यह कि न्यास सभा एक परामर्शदातृ का भी गठन कर सकती है जिसमें विशेष आमंत्रित अतिथि भी सदस्य हो सकते हैं जो समय-समय

पर न्यास के अच्छे कार्यो के संचालन हेतु परामर्श एवं सहायता भी दे सकते है कि परामर्शदातृ समिति के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षो का होगा तथा उक्त अवधि के बीतने पर न्यासीगण नयी परामर्शदात् समिति का गठन करेगें।

15. यह कि न्यास के कार्यो का संचालन इस न्यास पत्र के निधि से ही शुरू होगा तथा न्यास की निधि एवं कार्यो में वृद्धि होने पर उसका विकास होता रहेगा।

16. यह कि कार्यो में वृद्धि होने के पश्चात् आवश्यकतानुसार एक लेखापाल, रोकड़पाल तथा अन्य सहायकों की नियुक्ति की जा सकती है।

17. यह कि न्यास के दैनिक कार्यो के सम्पादन के लिए न्यास सभा यदि चाहे तो बहुत से उप-नियमें (बाईलाँज) का निर्माण आम सहमति

से कर सकती है और उन्हीं उप-नियमों के मुताबिक कार्यकारी न्यासी न्यास की सम्पति एवं संस्थाओं का प्रशासन वो प्रबंधन वो उचित देख-रेख करेगें।

18. यह कि न्यास सभा किसी भी न्यासी या व्यक्ति के न्यास के मुकदमें की देख-रेख के लिए प्राधिकृत कर सकती है और न्यास की ओर से वही व्यक्ति किसी भी वाद विवाद का प्रारंभ संचालन या सुलहनामा वो समापन कर सकते है।

19. यह कि न्यासियों को वहैसियत न्यासी के उनके द्वारा निष्पादित कार्यो के सम्पादन (अतिरिक्त प्रभार को छोड़कर) के एवज में किसी प्रकार को कोई माहवारी वेतन अथवा दरमाहा नहीं दिया जायेगा। लेकिन न्यास के कार्यो के सम्पादन में न्यासी जो भी खर्च अपनी ओर से

करेंगे उसकी भरपाई न्यास की ओर से की जायेगी। जिसमें जेब खर्च यात्रा भत्ता वगैरह देय होगा।

20. यह कि न्यास अध्यक्ष के द्वारा यदि अपने कार्यो के संचालन के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उसका वेतन न्यास द्वारा दिया जायेगा।

21. यह कि सभा की बैठक के लिए सभा के सदस्यों की संख्या का कोरम कम से कम तीन सदस्यों का होगा और न्यास सभा की बैठक बराबर न्यास के प्रागंण में ही होगी। कि न्यास की बैठक में किसी प्रस्ताव पर मत विभाजन के समय यदि दोनों ओर पक्ष और विपक्ष में सदस्यों की संख्या समान हो तो वैसी हालत में (अध्यक्ष) को निर्णायक मत (कास्टिंग वोट) देने का अधिकार होगा। यदि न्यास सभा की

दस्तावेज जांचा

आपात बैठक में कोई निर्णय लिया जाता है तो अगली बैठक में बहुमत से निर्णय को सम्पुष्ट कराना होगा।

22. यह कि न्यास का अपना एक कोष होगा और उसका खाता न्यास के नाम पर ही राष्ट्रीयकृत बैंक में खुलेगा और उक्त खाते का संचालन अध्यक्ष के हस्ताक्षर से होगा।

23. यह कि न्यासीगण अपनी स्वेच्छा से तन-मन की स्वस्थावस्था में इस न्यास-पत्र में वर्णित राशि न्यास को समर्पित करते हैं और उक्त राशि आज से न्यास की राशि हो गयी तथा लेख्यकारी अथवा उनके किसी भी उत्तराधिकारी या स्थापनापन्न को न्यास की उपरोक्त राशि अथवा उनके अंश पर कोई व्यक्तिगत अधिकार न रहा है वो न आईन्दे रहेगा।

6/2

24. यह कि किसी भी न्यासी के स्थान रिक्त होने पर या मरणोपरान्त दोनों की परिस्थितियों में न्यासियों की सहमति से अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि रिक्त हुए स्थान पर नये न्यासी की नियुक्ति कर सकें।

25. यह कि न्यास संपत्ति में यदि उत्येत्तर वृद्धि एक विकास रहीत हो तो न्यास अपने कार्यो का विस्तार आगे भी करती जायेगी। और अच्छे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च वो वो उच्चतर विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग, अस्पताल, तकनीकी महाविद्यालय, व्यवसायिक शिक्षा, हेतु संस्थान शिक्षक प्रशिक्षक महाविद्यालय, महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, महिला पॉलिटेक्नीक विश्वविद्यालय, धर्मशाला, अनाथालय, मंदिर वो दातव्य संस्थाओं का निर्माण व संचालन करेगी जिससे कि गरीबों व

दस्तावेज जाँचा
सरिता कुमारी

आमलोगों को सुविधा लाभ तथा सहायता मिल सके।

26. यह कि न्यास किसी भी व्यक्ति संस्था या सरकार से नगद या किसी वस्तु के रूप में दान प्राप्त कर सकती है और उसी तरह से गरीब वो असहाय व्यक्तियों को नगद या वस्तु के रूप में किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा दान दे सकती है तथा गरीबों के लिए नि:शुल्क शिक्षा एवं दातव्य औषधालय की व्यवस्था कर सकती है।

27. यह कि कोई भी न्यासी सदस्य यदि लगातार न्यास की तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है या पुरे एक कैलेण्डर वर्ष अनुपस्थित रहता है तो उन दोनों में जो भी लम्बी अनुपस्थिति हो वैसे अनुपस्थित न्यासी को न्यासियों के बहुमत से

दस्तावेज जाँचा

उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए अनुरोध किया जा सकता हैं। तथा उनके ऐसा ना करने पर सचिव का निर्णय ही मान्य होगा।

28. यह कि कोई भी न्यासी सदस्य एक महीने पूर्व नोटिस देकर न्यासी के पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

29. यह कि न्यास सभा की बैठक वर्ष में एक बार होगी और आवश्यकतानुसार बीच में भी यदि चाहे तो बैठक बुला सकते हैं कि न्यासीगण आवश्यकता महसूस होने पर एक तिहाई न्यासी हस्ताक्षर से न्यास सभा की बैठक बुलाने की याचना न्यास के अध्यक्ष से कर सकते हैं और वैसी हालत में अध्यक्ष को न्यास की बैठक बुलाना अनिवार्य होगा।

अवर निबंधन कार्यालय महुआ (वैशाली)
दस्तावेज जाँचा

30. यह कि न्यास के आमद एवं खर्च का विवरण निश्चित रूप से तैयार किया जायेगा तथा वर्ष के अंत में उनके लेखा-जोखा को अंतिम रूप दिया जायेगा जो निरीक्षण के लिए सभी न्यासियों के लिए खुला रखा जायेगा तथा आमद-खर्च के लेखा-जोखा के लिए वित्तीय वर्ष जो 31 मार्च को समाप्त होता है वहीं 31 मार्च न्यास के आमद-खर्च के लिए अंतिम समय माना जायेगा।

31. यह कि समयानुसार आवश्यकता होने पर आम सहमति से ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जायेगा। वो नये ट्रस्टी की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा की जायेगी।

32. यह कि न्यास की सम्पत्ति का उपयोग इस न्यास-पत्र में वर्णित प्रयोजनों के अलावे किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।